न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 16.09.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00031

योगेश उर्फ निर्मल गोदपुत्र कालू लाल जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्रीमति अणछीबाई पत्नि स्व. कालूलाल जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़, हाल आलोद, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–मिट्ठूलाल पिता सूरजमल जाति कुलमी, आयु वयस्क, निवासी मोरवन, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–ग्राम पंचायत मंगलवाड़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मंगलवाड़, पंचायत समिति डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.2004 द्वारा ग्राम पंचायत मंगलवाड़

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकार

प्रकरण संख्या 42/2015 (नि.पं.)
योगेश उर्फ निर्मल गोदपुत्र कालूलाल अहीर निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्रीमति अणछीबाई पत्नि स्व. कालूलाल अहीर निवासी मंगलवाड़ हाल आलोद, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत मंगलवाड़ द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.2004 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निगराकार के प्राकृतिक पिता किशनलाल एवं विपक्षी संख्या 1 के पति सगे भाई होकर विपक्षी संख्या 1 के पति कालूलाल ने उनके कोई संतान नहीं होने से निगराकार जो अपने सगे भाई का पुत्र है को गोद लिया तभी से निगराकार विवादित भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 1 के साथ काबिज होकर उक्त भूखण्ड का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने उसके नाम पट्टा जारी होने से विपक्षी संख्या 2 के बहकावे में आकर उक्त पट्टे का विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में बहनामा निष्पादित करा दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत मंगलवाड़ द्वारा विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.2004 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला ने अपने पत्रांक/पंस.डूं/निगरानी/2024-25/265 दिनांक 20.05.2024 से पट्टे से संबंधित, उपलब्ध अभिलेख/रेकार्ड प्रस्तुत किया। गैर निगराकारगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से गैर निगराकारगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मंगलवाड़ ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 के पति स्व. कालूलाल जी एवं निगराकार के प्राकृतिक पिता किशनलाल जी दोनों सगे भाई होकर स्व. कालूलाल जी के कोई संतान नहीं होने से गैर निगराकार संख्या 1 के पति स्व. कालूलाल जी ने निगराकार जो कि उनके सगे भाई का पुत्र होने से गोद रखा एवं गोद की रस्म अदा कर निगराकार को अपना गोद पुत्र बनाया तभी से विपक्षी संख्या 1 व उनके पति, निगराकार व उसके प्राकृतिक पिता के साथ उक्त

प्रकरण संख्या 42/2015 (नि.पं.)
योगेश उर्फ निर्मल गोदपुत्र कालूलाल अहीर निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्रीमति अणछीबाई पत्नि स्व. कालूलाल अहीर निवासी मंगलवाड़ हाल आलोद, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

विवादित भूखण्ड पर निवास करते चले आ रहे हैं निगराकार के प्राकृतिक पिता ने अपनी भाभी के नाम पर उक्त भूखण्ड का रियायती दर का पट्टा किमतन 1120/- रूपये में जारी करवाया तब से निगराकार उक्त भूखण्ड पर काबिज हो उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के बहकावे में आकर उक्त विवादित भूखण्ड का बहनामा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करा दिया और दिनांक 26.08.2015 को तथाकथित बहनामा पंजीकृत करवा दिया जो निगराकार के हक एवं अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर उक्त बहनामा निरस्त कराये जाने हेतु सेशन न्यायालय निम्बाहेड़ा में वादपत्र प्रस्तुत किया जिसके लम्बित रहते हुए भी विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करा दिया इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 को उक्त पट्टे के हस्तान्तरण का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी हस्तान्तरित किया है जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत मंगलवाड़ द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.2004 निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। सर्वप्रथम हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत मंगलवाड़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.01.2004 को जारी नहीं होकर दिनांक 05.03.2004 को जारी हुआ है। निगराकार ने स्वयं को विपक्षी संख्या 1 के पति स्व. कालूलाल द्वारा उनके गोद रखने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि मे ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे निगराकार को विपक्षी संख्या 1 के पति द्वारा उनके गोद रखे जाने की पुष्टि होती हो।

साथ ही निगराकार ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे निगराकार के विवादित पट्टे वाले भूखण्ड पर उसके कब्जे संबंधी कथन की पुष्टि होती हो इसके अलावा निगराकार ने अपनी निगरानी में वर्णित अन्य तथ्यों को भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कराया है।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये मौखिक कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 05.03.2004 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)